

- धारा 43 का संशोधन। **17.** आय-कर अधिनियम की धारा 43 में, 1 अप्रैल, 2004 से,—
 (क) खंड (3) में, “या पशु धन” शब्दों के पश्चात्, “या भवन या फर्नीचर और फिटिंग” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;
 (ख) खंड (6) के स्पष्टीकरण 2ख में, “लेखा बहियों में दिखाया गया” शब्दों का लोप किया जाएगा ।
- धारा 43ख का संशोधन। **18.** आय-कर अधिनियम की धारा 43ख में, 1 अप्रैल, 2004 से,—
 (क) खंड (ड) में,—
 (i) “सावधि ऋण” शब्दों के स्थान पर, “ऋण या अग्रिम” शब्द रखे जाएंगे ;
 (ii) “ऐसे ऋण” शब्दों के स्थान पर, “ऐसे ऋण या अग्रिम” शब्द रखे जाएंगे ;
 (ख) पहले परंतुक में “खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) या खंड (घ) या खंड (ङ) या खंड (च) में निर्दिष्ट” शब्दों, कोष्ठकों और अक्षरों का लोप किया जाएगा ;
 (ग) दूसरे परंतुक का लोप किया जाएगा ।
- धारा 44कक का संशोधन। **19.** आय-कर अधिनियम की धारा 44कक की उपधारा (2) के खंड (iii) में, “धारा 44कच” शब्द, अंक और अक्षर के पश्चात्, “या धारा 44खख या धारा 44खखख” शब्द, अंक और अक्षर 1 अप्रैल, 2004 से अंतःस्थापित किए जाएंगे ।
- धारा 44कख का संशोधन। **20.** आय-कर अधिनियम की धारा 44कख में, 1 अप्रैल, 2004 से —
 (क) खंड (ग) में, “धारा 44कच” शब्द, अंक और अक्षरों के पश्चात्, “या धारा 44खख या धारा 44खखख” शब्द, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे ;
 (ख) पहले परंतुक में, “धारा 44खख या धारा 44खखक या धारा 44खखख” शब्द, अंक और अक्षर के स्थान पर, “धारा 44खखक” शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ।
- धारा 44कड का संशोधन। **21.** आय-कर अधिनियम की धारा 44कड की उपधारा (1) में, “जिसके स्वामित्व में दस से अधिक माल वाहन नहीं हैं” शब्दों के स्थान पर, “जिसके स्वामित्व में पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय दस से अधिक माल वाहन नहीं हैं” शब्द, 1 अप्रैल, 2004 से रखे जाएंगे।
- धारा 44खख का संशोधन। **22.** आय-कर अधिनियम की धारा 44खख की उपधारा (2) के पश्चात् और स्पष्टीकरण से पूर्व निम्नलिखित उपधारा, 1 अप्रैल, 2004 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—
 “(3) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, कोई निर्धारिती, उस उपधारा में विनिर्दिष्ट लाभों और अभिलाभों से कम लाभों और अभिलाभों का दावा कर सकेगा, यदि वह ऐसी लेखा बहियां और अन्य दस्तावेज रखता है और उन्हें बनाए रखता है, जो धारा 44कक की उपधारा (2) के अधीन अपेक्षित हैं और धारा 44कख के अधीन अपने लेखाओं की लेखापरीक्षा कराता है और ऐसी लेखापरीक्षा की रिपोर्ट देता है और तदुपरांत निर्धारण अधिकारी, धारा 143 की उपधारा (3) के अधीन निर्धारिती की कुल आय या हानि का निर्धारण करने के लिए कार्यवाही करेगा और निर्धारिती द्वारा संदेय या उसको प्रतिदेय राशि का अवधारण करेगा ।”
- धारा 44खखख का संशोधन। **23.** आय-कर अधिनियम की धारा 44खखख में, 1 अप्रैल, 2004 से,—
 (क) विद्यमान धारा को उसकी उपधारा (1) के रूप में पुनःसंख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनःसंख्यांकित उपधारा (1) में, “और जिनका वित्तपोषण किसी अंतरराष्ट्रीय सहायता कार्यक्रम के अधीन किया जाता है,” शब्दों का लोप किया जाएगा ;
 (ख) इस प्रकार पुनःसंख्यांकित उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—
 “(2) इस धारा की उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, कोई निर्धारिती, उस उपधारा में विनिर्दिष्ट लाभों और अभिलाभों से कम लाभों और अभिलाभों का दावा कर सकेगा यदि वह धारा 44कक की उपधारा (2) के अधीन यथाअपेक्षित लेखा बहियां और अन्य दस्तावेज रखता है या उन्हें बनाए रखता है और अपने लेखाओं की लेखापरीक्षा कराता है तथा धारा 44कख के अधीन यथाअपेक्षित ऐसी लेखापरीक्षा की रिपोर्ट देता है और तदुपरांत निर्धारण अधिकारी, धारा 143 की उपधारा (3) के अधीन निर्धारिती की कुल आय या हानि का निर्धारण करने की कार्यवाही करेगा और निर्धारिती द्वारा संदेय या उसको प्रतिदेय राशि का अवधारण करेगा ।”
- धारा 44घ का संशोधन। **24.** आय-कर अधिनियम की धारा 44घ के खंड (ख) में, “31 मार्च, 1976 के पश्चात्” अंकों और शब्दों के पश्चात्, “किंतु 1 अप्रैल, 2003 से पूर्व” शब्द और अंक 1 अप्रैल, 2004 से रखे जाएंगे ।
- नई धारा 44घक का अंतःस्थापन। **25.** आय-कर अधिनियम की धारा 44घ के पश्चात्, निम्नलिखित धारा 1 अप्रैल, 2004 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—
 “44घक. (1) 31 मार्च, 2003 के पश्चात् सरकार या किसी भारतीय समुत्थान के साथ किसी अनिवासी (जो कंपनी नहीं है) या किसी विदेशी कंपनी द्वारा किए गए करार के अनुसरण में सरकार या भारतीय समुत्थान से प्राप्त स्वामित्व या तकनीकी सेवाओं के लिए फीस के रूप में आय की, जहां ऐसा अनिवासी (जो कंपनी नहीं है) या कोई विदेशी कंपनी भारत में वहां स्थित किसी स्थायी स्थापन के माध्यम से कारबार करती है या वहां स्थित वृत्ति के निश्चित स्थान से वृत्तिक सेवाएं प्रदान करती हैं और अधिकार, संपत्ति या संविदा, जिसके संबंध में स्वामित्व या तकनीकी सेवाओं के लिए फीस संदत्त की जाती है, यथास्थिति, ऐसे स्थायी स्थापन या वृत्ति के निश्चित स्थान से प्रभावी रूप से जुड़े हुए हैं, संगणना इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार “कारबार या वृत्ति के लाभ या अभिलाभ” शीर्ष के अधीन की जाएगी :
 परंतु कोई कटौती,—
 (i) ऐसे किसी व्यय या मोक की बाबत, जो भारत में ऐसे स्थायी स्थापन के कारबार या वृत्ति के निश्चित स्थान के लिए पूर्णतः या अनन्यतः उपगत नहीं हुआ है ; या
 (ii) ऐसी रकमों, यदि कोई हों, की बाबत, जो स्थायी स्थापन द्वारा अपने मुख्यालय या अपने अन्य कार्यालयों में से किसी कार्यालय को संदत्त (वास्तविक व्ययों की प्रतिपूर्ति से अन्यथा भिन्न मद्दे) की गई हैं,
 अनुज्ञात नहीं की जाएगी ।
 (2) प्रत्येक अनिवासी (जो कंपनी नहीं है) या विदेशी कंपनी धारा 44कक के उपबंधों के अनुसार लेखा बही तथा अन्य दस्तावेज रखेगी और उन्हें बनाए रखेगी और धारा 288 की उपधारा (2) के नीचे स्पष्टीकरण में यथापरिभाषित किसी लेखाकार द्वारा अपने लेखाओं की लेखापरीक्षा कराएगी और आय की विवरणी के साथ ऐसे लेखाकार द्वारा सम्यक्तः हस्ताक्षरित और सत्यापित ऐसी लेखापरीक्षा की रिपोर्ट देगी ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) “तकनीकी सेवाओं के लिए फीस” का वही अर्थ है जो धारा 9 की उपधारा (1) के खंड (vii) के स्पष्टीकरण 2 में है;

(ख) “स्वामिस्व” का वही अर्थ है जो धारा 9 की उपधारा (1) के खंड (vi) के स्पष्टीकरण 2 में है ;

5 (ग) “स्थायी स्थापन” का वही अर्थ है जो धारा 92च के खंड (iii)क में है ।’।

26. आय-कर अधिनियम की धारा 45 में, उपधारा (5) में, खंड (ख) के पश्चात् और स्पष्टीकरण से पूर्व, निम्नलिखित खंड, 1 अप्रैल, धारा 45 का संशोधन। 2004 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

10 “(ग) जहां किसी वर्ष के निर्धारण में, किसी पूंजी आस्ति के अंतरण से उद्भूत पूंजी अभिलाभ, यथास्थिति, खंड (क) में निर्दिष्ट प्रतिकर या प्रतिफल अथवा खंड (ख) में वर्धित प्रतिकर या प्रतिफल को हिसाब में लेकर संगणित किया जाता है और तत्पश्चात् ऐसे प्रतिकर या प्रतिफल में किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकारी द्वारा कटौती कर दी जाती है, वहां उस वर्ष के इस प्रकार निर्धारित पूंजी अभिलाभ को ऐसे न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकारी द्वारा कटौती किए गए प्रतिकर या प्रतिफल को हिसाब में लेकर पुनः संगणना की जाएगी जो प्रतिफल का पूरा मूल्य होगी ।”।

27. आय-कर अधिनियम की धारा 47 में, 1 अप्रैल, 2004 से,—

धारा 47 का संशोधन।

15 (क) खंड (xiii) में, “निगमीकरण” शब्द के स्थान पर, जहां-जहां वह आता है, “अनपरस्परीकरण या निगमीकरण” शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) खंड (xiii) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“**(xiii)क** किसी पूंजी आस्ति का, जो भारत में किसी मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज के किसी सदस्य द्वारा शेयरों के अर्जन तथा अनपरस्परीकरण या निगमीकरण की किसी स्कीम के अनुसार, जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 3 के अधीन स्थापित भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा अनुमोदित की गई है, उस मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज में ऐसे व्यक्ति द्वारा अर्जित व्यवसाय या निकासी अधिकारों के लिए धारित सदस्यता का अधिकार है, कोई अंतरण ;”।

28. आय-कर अधिनियम की धारा 55 की उपधारा (2) में, 1 अप्रैल, 2004 से,—

धारा 55 का संशोधन।

(क) खंड (कख) में “निगमीकरण” शब्द के स्थान पर, “अनपरस्परीकरण या निगमीकरण” शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) खंड (कख) के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

25 “परंतु किसी पूंजी आस्ति की लागत को, जो ऐसे शेयर धारक द्वारा अर्जित किसी मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज के व्यापार या समाशोधन अधिकार हैं, जिसे अनपरस्परीकरण या निगमीकरण की किसी स्कीम के अधीन साधारण शेयर या शेयर आर्बिटिट किए गए हैं, शून्य समझा जाएगा ;”।

29. आय-कर अधिनियम की धारा 57 के खंड (i) में, “लाभांशों की दशा में” शब्दों के स्थान पर, “धारा 115ग में निर्दिष्ट लाभांशों धारा 57 का संशोधन। से भिन्न लाभांशों की दशा में” शब्द, अंक और अक्षर, 1 अप्रैल, 2004 से रखे जाएंगे ।

30 **30.** आय-कर अधिनियम की धारा 72क में, 1 अप्रैल, 2004 से,—

धारा 72क का संशोधन।

(क) उपधारा (1) और उपधारा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधाराएं रखी जाएंगी, अर्थात् :—

1949 का 10 “(1) जहां किसी औद्योगिक उपक्रम या पोत या किसी होटल के स्वामी किसी कंपनी का किसी अन्य कंपनी से समामेलन हुआ है या बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 5 के खंड (ग) में निर्दिष्ट किसी बैंककारी कंपनी का किसी विनिर्दिष्ट बैंक से समामेलन हुआ है वहां इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध में किसी बात के होते हुए भी समामेलक कंपनी की संचयित हानि और शेष अवक्षयण उस पूर्ववर्ष के लिए, जिसमें समामेलन किया गया था, समामेलित कंपनी के अवक्षयण के लिए, यथास्थिति, हानि या मोक माने जाएंगे और हानि के मुजरा तथा अग्रनयन और अवक्षयण के मोक से संबंधित इस अधिनियम के अन्य उपबंध तदनुसार लागू होंगे ।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी संचयित हानि मुजरा या अग्रनीत नहीं की जाएगी और शेष अवक्षयण समामेलित कंपनी के निर्धारण में तभी अनुज्ञात किया जाएगा जबकि,—

40 (क) समामेलक कंपनी,—

(i) कम से कम ऐसे तीन वर्ष के लिए, जिसके दौरान संचयित हानि हुई है या शेष अवक्षयण संचयित हुआ है, कारबार में लगी रही है ;

(ii) समामेलन की तारीख को, समामेलन की तारीख के पूर्व दो वर्ष तक इसके द्वारा धारित स्थिर आस्तियों के कम से कम तीन बटा चार बही मूल्य को लगातार प्रतिधारित किया हो ;

45 (ख) समामेलित कंपनी,—

(i) समामेलन की तारीख से कम से कम पांच वर्ष के लिए समामेलन की स्कीम में अर्जित समामेलक कंपनी की स्थिर आस्तियों के कम से कम तीन बटा चार बही मूल्य को लगातार प्रतिधारित करती हो ;

(ii) समामेलन की तारीख से कम से कम पांच वर्ष की अवधि के लिए समामेलक कंपनी का कारबार चालू रखती है ;

50 (iii) ऐसी अन्य शर्तों को पूरा करती है, जो समामेलक कंपनी के कारबार को पुनर्जीवित करने को सुनिश्चित करने के लिए या यह सुनिश्चित करने के लिए कि समामेलन विशुद्ध कारबार के प्रयोजन के लिए है, विहित की जाएं ।” ;

(ख) उपधारा (7) के खंड (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

1955 का 23 ‘(ग) “विनिर्दिष्ट बैंक” से भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 के अधीन गठित भारतीय स्टेट बैंक या भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 में यथापरिभाषित कोई समनुषंगी बैंक या बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 3 या बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 की धारा 3 के अधीन गठित कोई तत्स्थानी नया बैंक अभिप्रेत है ।’।

1955 का 23

1959 का 38

1970 का 5

1980 का 40

धारा 80घघ के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन।

किसी आश्रित के जो निःशक्त व्यक्ति है, चिकित्सीय उपचार सहित भरण-पोषण की बाबत कटौती।

31. आय-कर अधिनियम की धारा 80घघ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा 1 अप्रैल, 2004 से रखी जाएगी, अर्थात् :—

‘80घघ. (1) जहां किसी निर्धारिती ने, जो व्यक्ति या हिन्दू अविभक्त कुटुंब है और भारत में निवासी है, पूर्ववर्ष के दौरान,—

(क) कोई व्यय किसी आश्रित के, जो निःशक्त व्यक्ति है, चिकित्सीय उपचार (जिसके अंतर्गत परिचर्या भी है), प्रशिक्षण और पुनर्वास के लिए किया है ; या

(ख) जीवन बीमा निगम या किसी अन्य बीमाकर्ता या प्रशासक या विनिर्दिष्ट कंपनी द्वारा उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए आश्रित के, जो निःशक्त व्यक्ति है, भरण-पोषण के लिए इस निमित्त बनाई गई और बोर्ड द्वारा अनुमोदित किसी स्कीम के अधीन कोई रकम संदत्त या जमा की है, 5

वहां निर्धारिती को इस धारा के उपबंधों के अनुसार और उनके अधीन रहते हुए पूर्ववर्ष की बाबत उसकी सकल कुल आय से पचास हजार रुपए की राशि की कटौती अनुज्ञात की जाएगी :

परंतु जहां ऐसा आश्रित गंभीर निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्ति है वहां इस उपधारा के उपबंधों का प्रभाव इस प्रकार होगा मानो “पचास हजार रुपए” शब्दों के स्थान पर “पचहत्तर हजार रुपए” शब्द रखे गए हों । 10

(2) उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन कटौती तभी अनुज्ञात की जाएगी जब निम्नलिखित शर्तें पूरी कर दी जाती हैं, अर्थात्:—

(क) उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट स्कीम में ऐसे किसी व्यक्ति या हिन्दू अविभक्त कुटुंब के सदस्य की, जिसके नाम में स्कीम में अभिदाय किया गया है, मृत्यु की दशा में किसी आश्रित के, जो निःशक्त व्यक्ति है, फायदे के लिए वार्षिकी या एकमुश्त राशि के संदाय का उपबंध है ; 15

(ख) निर्धारिती ऐसे आश्रित के, जो निःशक्त व्यक्ति है, फायदे के लिए निःशक्त आश्रित व्यक्ति को अथवा उसकी ओर से संदाय प्राप्त करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति या किसी न्यास को नामनिर्देशित करता है ।

(3) यदि आश्रित की, जो निःशक्त व्यक्ति है, उपधारा (2) में निर्दिष्ट व्यक्ति या हिन्दू अविभक्त कुटुंब के सदस्य से पहले मृत्यु हो जाती है तो उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन संदत्त या जमा की गई रकम के बराबर किसी रकम को उस पूर्ववर्ष में, जिसमें ऐसी रकम निर्धारिती द्वारा प्राप्त की जाती है, निर्धारिती की आय समझा जाएगा और तदनुसार वह उसी पूर्ववर्ष की आय के रूप में कर से प्रभार्य होगी । 20

(4) निर्धारिती इस धारा के अधीन कटौती का दावा करते समय विहित प्ररूप और रीति में चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र की प्रति के साथ उस पूर्ववर्ष की बाबत, जिसके लिए कटौती का दावा किया गया है, धारा 139 के अधीन आय की विवरणी देगा:

परंतु जहां निःशक्तता की शर्त में, पूर्वोक्त प्रमाणपत्र में अनुबंधित अवधि के पश्चात् उसकी सीमा का पुनर्निर्धारण अपेक्षित है, उस पूर्ववर्ष की, जिसके दौरान निःशक्तता का पूर्वोक्त प्रमाणपत्र समाप्त हुआ था, समाप्ति के पश्चात् आरंभ होने वाले किसी पूर्ववर्ष से संबंधित किसी निर्धारण वर्ष के लिए इस धारा के अधीन कोई कटौती तब तक अनुज्ञात नहीं की जाएगी जब तक चिकित्सा प्राधिकारी से, ऐसे प्ररूप और रीति में जो विहित की जाए, नया प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं किया जाता है और आय की विवरणी के साथ उसकी एक प्रति नहीं दे दी जाती है । 25

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,— 30

(क) “प्रशासक” से भारतीय यूनिट ट्रस्ट (उपक्रमों का अंतरण और निरसन) अधिनियम, 2002 की धारा 2 के खंड (क) में निर्दिष्ट प्रशासक अभिप्रेत है ; 2002 का 58

(ख) “आश्रित” से अभिप्रेत है,—

(i) किसी व्यक्ति की दशा में, व्यक्ति का पति/पत्नी, बालक, माता-पिता, भाई और बहनें या उनमें से कोई ;

(ii) किसी हिन्दू अविभक्त कुटुंब की दशा में, हिन्दू अविभक्त कुटुंब का कोई सदस्य, 35

जो अपनी सहायता और भरण-पोषण के लिए ऐसे व्यक्ति या हिन्दू अविभक्त कुटुंब पर पूर्णतः या मुख्यतः आश्रित है और जिसने पूर्ववर्ष से संबंधित निर्धारण वर्ष के लिए अपनी कुल आय की संगणना करने में धारा 80प के अधीन किसी कटौती का दावा नहीं किया है ;

(ग) “निःशक्तता” का वही अर्थ है जो निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 2 के खंड (झ) में है ; 40 1996 का 1

(घ) “जीवन बीमा निगम” का वही अर्थ है जो धारा 88 की उपधारा (8) के खंड (iii) में है ;

(ङ) “चिकित्सा प्राधिकारी” से निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 2 के खंड (त) में निर्दिष्ट चिकित्सा प्राधिकारी अभिप्रेत है ; 1996 का 1

(च) “निःशक्त व्यक्ति” से निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 2 की उपधारा (न) में निर्दिष्ट व्यक्ति अभिप्रेत है ; 45 1996 का 1

(छ) “गंभीर निःशक्त व्यक्ति” से निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 56 की उपधारा (4) में निर्दिष्ट अस्सी प्रतिशत या अधिक की किसी एक या अधिक निःशक्तताओं से ग्रस्त व्यक्ति अभिप्रेत है ; 1996 का 1

(ज) “विनिर्दिष्ट कंपनी” से भारतीय यूनिट ट्रस्ट (उपक्रमों का अंतरण और निरसन) अधिनियम, 2002 की धारा 2 के खंड (ज) में निर्दिष्ट कंपनी अभिप्रेत है ।’। 50 2002 का 58

धारा 80घघख के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन।

चिकित्सीय उपचार आदि की बाबत कटौती।

32. आय-कर अधिनियम की धारा 80घघख के स्थान पर, निम्नलिखित धारा 1 अप्रैल, 2004 से रखी जाएगी, अर्थात् :—

‘80घघख. जहां किसी निर्धारिती ने, जो भारत में निवासी है, पूर्ववर्ष के दौरान ऐसे रोग या व्याधि के, जो बोर्ड द्वारा इस निमित्त बनाए गए नियमों में विनिर्दिष्ट की जाए, चिकित्सीय उपचार के लिए कोई व्यय,—

(क) अपने लिए या किसी आश्रित के लिए, यदि निर्धारिती कोई व्यक्ति है ; या

(ख) किसी हिन्दू अविभक्त कुटुंब के किसी सदस्य के लिए, यदि निर्धारिती कोई हिन्दू अविभक्त कुटुंब है, 55

वास्तव में उपगत किया है वहां निर्धारिती को उस पूर्ववर्ष के संबंध में, जिसमें ऐसा व्यय उपगत किया गया था, वास्तव में उपगत व्यय या चालीस हजार रुपए की राशि की कटौती, इन दोनों में से जो भी कम हो, अनुज्ञात की जाएगी :

परंतु कोई ऐसी कटौती तब तक अनुज्ञात नहीं की जाएगी जब तक कि निर्धारिती आय-कर की विवरणी के साथ ऐसे प्ररूप में, जो विहित किया जाए, किसी सरकारी अस्पताल में कार्यरत किसी तंत्रिका विज्ञानी, किसी अर्बुद्ध विज्ञानी, किसी मूत्ररोग विज्ञानी, किसी रुधिर विज्ञानी, किसी प्रतिरक्षा विज्ञानी या ऐसे अन्य विशेषज्ञ का, जो विहित किया जाए, प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं कर देता है :

परंतु यह और कि इस धारा के अधीन कटौती में से उतनी राशि, यदि कोई हो, जो किसी बीमाकर्ता से किसी बीमा के अधीन प्राप्त की जाती है या खंड (क) या खंड (ख) में निर्दिष्ट व्यक्ति के चिकित्सीय उपचार के लिए किसी नियोक्ता द्वारा प्रतिपूर्ति की जाती है, कम कर दी जाएगी :

परंतु यह भी कि जहां व्यय निर्धारिती या उसके आश्रित या निर्धारिती के किसी हिंदू अविभक्त कुटुंब के किसी सदस्य की बाबत उपगत हुआ है और जो एक वरिष्ठ नागरिक है वहां इस धारा के उपबंध ऐसे प्रभावी होंगे मानो “चालीस हजार रुपए” शब्दों के स्थान पर, “साठ हजार रुपए” शब्द रख दिए गए हों ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(i) “आश्रित” से,—

(क) किसी व्यक्ति की दशा में, व्यक्ति की पत्नी या पति, बालक, माता-पिता, भाई और बहन या उनमें से कोई अभिप्रेत है ;

(ख) हिंदू अविभक्त कुटुंब की दशा में, हिंदू अविभक्त कुटुंब का कोई सदस्य अभिप्रेत है,

जो ऐसे व्यक्ति या हिंदू अविभक्त कुटुंब पर अपने सहारे और भरण-पोषण के लिए पूर्णतः या मुख्यतः आश्रित है ;

(ii) “सरकारी अस्पताल” के अंतर्गत सरकारी सेवकों के किसी वर्ग या वर्गों और उनके कुटुंब के सदस्यों की चिकित्सीय परिचर्या और उपचार के लिए सरकार के किसी विभाग द्वारा स्थापित और चलाए जा रहे पूर्णकालिक या अंशकालिक कोई विभागीय औषधालय, किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अनुरक्षित कोई अस्पताल और कोई अन्य अस्पताल, जिसका प्रबंध सरकारी सेवकों के उपचार के लिए सरकार द्वारा किया गया है, आते हैं ;

(iii) “बीमाकर्ता” का वही अर्थ है जो बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 2 के खंड (9) में है ;

(iv) “वरिष्ठ नागरिक” से भारत में निवासी ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो सुसंगत पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय पैंसठ वर्ष या अधिक आयु का है ।’।

33. आय-कर अधिनियम की धारा 80इक में,—

धारा 80इक का संशोधन ।

(i) उपधारा (2) में, “किसी विशेष आर्थिक जोन का विकास करता है या विकास और प्रचालन करता है या अनुरक्षित और प्रचालित करता है” शब्दों के स्थान पर, “या किसी विशेष आर्थिक जोन का विकास करता है” शब्द 1 अप्रैल, 2002 से रखे गए समझे जाएंगे ;

(ii) उपधारा (4) में,—

(क) खंड (ii) में, “31 मार्च, 2003” अंकों और शब्द के स्थान पर, “31 मार्च, 2004” अंक और शब्द 1 अप्रैल, 2004 से रखे गए समझे जाएंगे ;

(ख) खंड (iii) में परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक 1 अप्रैल, 2002 से रखा गया समझा जाएगा, अर्थात् :—

“परंतु यह कि उस दशा में जहां कोई उपक्रम, 1 अप्रैल, 1999 को या उसके पश्चात् कोई औद्योगिक पार्क या 1 अप्रैल, 2001 को या उसके पश्चात् कोई विशेष आर्थिक जोन का विकास करता है और, यथास्थिति, ऐसे औद्योगिक पार्क या ऐसे विशेष आर्थिक जोन के प्रचालन और अनुरक्षण को, अन्य उपक्रम को (जिसे इस धारा में इसके पश्चात् अंतरिती उपक्रम कहा गया है) अंतरित कर देता है वहां उपधारा (1) के अधीन कटौती ऐसे अंतरिती उपक्रम को दस आनुक्रमिक निर्धारण वर्षों की शेष अवधि के लिए अनुज्ञात की जाएगी मानो प्रचालन और अनुरक्षण ऐसे अंतरिती उपक्रम को अंतरित नहीं किया गया था;”।

34. आय-कर अधिनियम की धारा 80इख में, 1 अप्रैल, 2004 से—

धारा 80इख का संशोधन ।

(क) उपधारा (4) में, दूसरे परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“परंतु यह भी कि इस उपधारा के अधीन, धारा 80इग की उपधारा (2) में निर्दिष्ट किसी उपक्रम या उद्यम को, 1 अप्रैल, 2004 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष या किसी पश्चात्वर्ती वर्ष के लिए, कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी ।”;

(ख) उपधारा (8क) के खंड (iii) में, “1 अप्रैल, 2003” अंकों और शब्द के स्थान पर, “1 अप्रैल, 2004” अंक और शब्द रखे जाएंगे ;

(ग) उपधारा (10) में,—

(i) प्रारंभिक भाग में, “31 मार्च, 2001” अंकों और शब्द के स्थान पर, “31 मार्च, 2005” अंक और शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) खंड (क) में, “और उसे 31 मार्च, 2003 के पूर्व पूरा कर लेता है” शब्दों और अंकों का लोप किया जाएगा ;

(घ) उपधारा (11) में “31 मार्च, 2003” अंकों और शब्द के स्थान पर, “1 अप्रैल, 2004” अंक और शब्द रखे जाएंगे ।

35. आय-कर अधिनियम की धारा 80इख के पश्चात् निम्नलिखित धारा, 1 अप्रैल, 2004 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

नई धारा 80इग का अंतःस्थापन।

‘80इग. (1) जहां किसी निर्धारिती की सकल कुल आय में, उपधारा (2) में निर्दिष्ट किसी कारबार से किसी उपक्रम या उद्यम को व्युत्पन्न कोई लाभ और अभिलाभ सम्मिलित है, वहां निर्धारिती की कुल आय की संगणना करने में, ऐसे लाभ और अभिलाभ में से इस धारा के उपबंधों के अनुसार और उनके अधीन रहते हुए उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट कटौती अनुज्ञात की जाएगी ।

कतिपय विशेष प्रवर्ग के राज्यों में कतिपय उपक्रमों या उद्यमों की बाबत विशेष उपबंध।

(2) यह धारा ऐसे किसी उपक्रम या उद्यम को लागू होती है,—

(क) जिसने किसी ऐसी वस्तु या चीज का, जो तेरहवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट कोई वस्तु या चीज नहीं है, विनिर्माण या उत्पादन आरंभ किया है या जो आरंभ करता है या जो किसी ऐसी वस्तु या चीज का, जो तेरहवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट कोई वस्तु या चीज नहीं है, विनिर्माण या उत्पादन करता है और—

(i) 23 दिसंबर, 2002 को आरंभ होने वाली और 1 अप्रैल, 2012 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान, सिक्किम राज्य में किसी निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र या एकीकृत अवसंरचना विकास केंद्र या औद्योगिक संवर्धन केंद्र या औद्योगिक संपदा या औद्योगिक पार्क या साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क या औद्योगिक क्षेत्र या थीम पार्क में, जो इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाई गई और अधिसूचित की गई स्कीम के अनुसार बोर्ड द्वारा अधिसूचित किया गया है ; या

(ii) 7 जनवरी, 2003 को आरंभ होने वाली और 1 अप्रैल, 2012 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान, हिमाचल प्रदेश राज्य या उत्तरांचल राज्य में किसी निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र या एकीकृत अवसंरचना विकास केंद्र या औद्योगिक संवर्धन केंद्र या औद्योगिक संपदा या औद्योगिक पार्क या साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क या औद्योगिक क्षेत्र या थीम पार्क में, जो इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाई गई और अधिसूचित की गई स्कीम के अनुसार बोर्ड द्वारा अधिसूचित किया गया है ; या

(iii) 24 दिसंबर, 1997 को आरंभ होने वाली और 1 अप्रैल, 2007 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान, किसी पूर्वोत्तर राज्य में, किसी निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र या एकीकृत अवसंरचना विकास केंद्र या औद्योगिक संवर्धन केंद्र या औद्योगिक संपदा या औद्योगिक पार्क या साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क या औद्योगिक क्षेत्र या थीम पार्क में, जो इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाई गई और अधिसूचित की गई स्कीम के अनुसार बोर्ड द्वारा अधिसूचित किया गया है,

सारवान् विस्तार करता है ;

(ख) जिसने चौदहवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी वस्तु या चीज का विनिर्माण या उत्पादन आरंभ किया है या करता है या उस अनुसूची में विनिर्दिष्ट कोई संक्रिया प्रारंभ करता है या जो चौदहवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी वस्तु या चीज का विनिर्माण या उत्पादन आरंभ करता है या उस अनुसूची में विनिर्दिष्ट कोई संक्रिया प्रारंभ करता है और,—

(i) 23 दिसंबर, 2002 को आरंभ होने वाली और 1 अप्रैल, 2012 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान, सिक्किम राज्य में ; या

(ii) 7 जनवरी, 2003 को आरंभ होने वाली और 1 अप्रैल, 2012 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान, हिमाचल प्रदेश राज्य या उत्तरांचल राज्य में ; या

(iii) 24 दिसंबर, 1997 को आरंभ होने वाली और 1 अप्रैल, 2007 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान, किसी पूर्वोत्तर राज्य में,

सारवान् विस्तार करता है ।

(3) उपधारा (1) में निर्दिष्ट कटौती,—

(i) उपधारा (2) के खंड (क) के उपखंड (i) और (iii) या खंड (ख) के उपखंड (i) और (ii) में निर्दिष्ट किसी उपक्रम या उद्यम की दशा में, आरंभिक निर्धारण वर्ष से प्रारंभ होने वाले दस निर्धारण वर्षों के लिए ऐसे लाभों और अभिलाभों का शतप्रतिशत की जाएगी ;

(ii) उपधारा (2) के खंड (क) के उपखंड (ii) या खंड (ख) के उपखंड (ii) में निर्दिष्ट किसी उपक्रम या उद्यम की दशा में, आरंभिक निर्धारण वर्ष से प्रारंभ होने वाले पांच निर्धारण वर्षों के लिए ऐसे लाभों और अभिलाभों का शतप्रतिशत की जाएगी और तत्पश्चात्, लाभों और अभिलाभों का पच्चीस प्रतिशत (या तीस प्रतिशत, जहां निर्धारिती कोई कंपनी है) की जाएगी ।

(4) यह धारा ऐसे किसी उपक्रम या उद्यम को लागू होती है, जो निम्नलिखित सभी शर्तों को पूरा करता है, अर्थात् :—

(i) वह पहले से विद्यमान किसी कारबार को खंडित या पुनर्गठित करके नहीं बना है :

परंतु यह शर्त ऐसे किसी उपक्रम की बाबत लागू नहीं होगी जो निर्धारिती द्वारा ऐसे किसी उपक्रम के कारबार के, जो धारा 33ख में निर्दिष्ट है, उस धारा में विनिर्दिष्ट परिस्थितियों और अवधि के भीतर पुनःस्थापन, पुनर्गठन या पुनःप्रवर्तन के परिणामस्वरूप बना है ;

(ii) वह किसी प्रयोजन के लिए पूर्व में प्रयुक्त किसी मशीनरी या संयंत्र का नए कारबार को अंतरण करके नहीं बना है ।

स्पष्टीकरण—धारा 80झक की उपधारा (3) के स्पष्टीकरण 1 और स्पष्टीकरण 2 के उपबंध इस उपधारा के खंड (ii) के प्रयोजनों के लिए उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे उस उपधारा के खंड (ii) के प्रयोजनों के लिए लागू होते हैं ।

(5) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध में किसी बात के होते हुए भी, निर्धारिती की कुल आय की संगणना करने में, उपक्रम या उद्यम के लाभों और अभिलाभों के संबंध में अध्याय 6क में अंतर्विष्ट किसी अन्य धारा या धारा 10क या धारा 10ख के अधीन कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी ।

(6) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध में किसी बात के होते हुए भी, किसी उपक्रम या उद्यम को कोई कटौती वहां अनुज्ञात नहीं की जाएगी जहां इस धारा के अधीन कटौती की अवधि सहित कटौती की कुल अवधि या, यथास्थिति, धारा 80झख की उपधारा (4) के दूसरे परंतुक या धारा 10ग के अधीन कटौती की कुल अवधि दस निर्धारण वर्षों से अधिक होती है ।

(7) धारा 80झक की उपधारा (5) और उपधारा (7) से उपधारा (12) में अंतर्विष्ट उपबंध, जहां तक हो सके, इस धारा के अधीन पात्र उपक्रम या उद्यम को लागू होंगे ।

(8) इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(i) “औद्योगिक क्षेत्र” से ऐसे क्षेत्र अभिप्रेत हैं, जिन्हें बोर्ड, केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाई गई और अधिसूचित की गई स्कीम के अनुसार विनिर्दिष्ट करे ;

(ii) “औद्योगिक संपदा” से ऐसी संपदाएं अभिप्रेत हैं, जिन्हें बोर्ड, केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाई गई और अधिसूचित की गई स्कीम के अनुसार विनिर्दिष्ट करे ;

(iii) “औद्योगिक संवर्धन केंद्र” से ऐसे केंद्र अभिप्रेत हैं, जिन्हें बोर्ड, केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाई गई और अधिसूचित की गई स्कीम के अनुसार विनिर्दिष्ट करे ;

(iv) “औद्योगिक पार्क” से ऐसे पार्क अभिप्रेत हैं, जिन्हें बोर्ड, केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाई गई और अधिसूचित की गई स्कीम के अनुसार विनिर्दिष्ट करे ;

(v) “आरंभिक निर्धारण वर्ष” से उस पूर्ववर्ष से, जिसमें उपक्रम या उद्यम वस्तुओं या चीजों का विनिर्माण या उत्पादन आरंभ करता है या संक्रिया प्रारंभ करता है, या सारवान् विस्तार पूरा करता है, सुसंगत निर्धारण वर्ष अभिप्रेत है ;

(vi) “एकीकृत अवसंरचना विकास केंद्र” से ऐसे केंद्र अभिप्रेत हैं जिन्हें बोर्ड, केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाई गई और अधिसूचित की गई स्कीम के अनुसार विनिर्दिष्ट करे ;

(vii) “पूर्वोत्तर राज्यों” से अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा राज्य अभिप्रेत हैं ;

5 (viii) “साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क” से भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा अधिसूचित साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क स्कीम के अनुसार गठित कोई पार्क अभिप्रेत है ;

(ix) “सारवान् विस्तार” से संयंत्र और मशीनरी में, विनिधान में पूर्ववर्ष के प्रथम दिन को संयंत्र और मशीनरी के बही मूल्य के कम से कम पचास प्रतिशत तक की (किसी वर्ष में अवक्षयण को लेने से पूर्व) वृद्धि अभिप्रेत है, जिसमें सारवान् विस्तार किया जाता है ;

(x) “थीम पार्क” से ऐसे पार्क अभिप्रेत हैं, जिन्हें बोर्ड, केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाई गई या अधिसूचित की गई स्कीम के अधीन विनिर्दिष्ट करे ।’ ।

10 36. आय-कर अधिनियम की धारा 80ठ की उपधारा (1) में,—

धारा 80ठ का संशोधन।

(क) खंड (iv), खंड (v) और खंड (vक) का 1 अप्रैल, 2004 से लोप किया जाएगा ;

(ख) खंड (1) और खंड (2) में, “नौ हजार” शब्दों के स्थान पर “बारह हजार” शब्द रखे जाएंगे ।

37. आय-कर अधिनियम की धारा 80ड का 1 अप्रैल, 2004 से लोप किया जाएगा ।

धारा 80ड का लोप।

38. आय-कर अधिनियम की धारा 80थक के पश्चात् निम्नलिखित धारा 1 अप्रैल, 2004 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

नई धारा 80थक का अंतःस्थापन।

15 ‘80थथख. (1) जहां भारत में निवासी किसी व्यक्ति की दशा में, जो लेखक है, सकल कुल आय में किसी पुस्तक के, जो साहित्यिक, कलात्मक या वैज्ञानिक प्रकृति की कृति है, प्रतिलिप्यधिकार में उसके किन्हीं हितों के समनुदेशन या मंजूरी के लिए किसी एकमुश्त प्रतिफल या ऐसी पुस्तक की बाबत स्वामिस्व या प्रतिलिप्यधिकार फीस (चाहे एक मुश्त या अन्यथा प्राप्य हो) के मद्दे उसकी वृत्ति के प्रयोग में उसके द्वारा व्युत्पन्न कोई आय भी सम्मिलित है, वहां इस धारा के उपबंधों के अनुसार और उसके अधीन रहते हुए निर्धारिती की कुल आय की संगणना करने में उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट रीति में संगणित ऐसी आय से कटौती अनुज्ञात की जाएगी ।

पाठ्य पुस्तकों से भिन्न कतिपय पुस्तकों के लेखकों की स्वामिस्व आय, आदि की बाबत कटौती।

20 (2) इस धारा के अधीन कटौती, उपधारा (1) में निर्दिष्ट ऐसी संपूर्ण आय या तीन लाख रुपए की रकम के, इनमें से जो भी कम हो, बराबर होगी :

परंतु जहां ऐसे स्वामिस्व या प्रतिलिप्यधिकार फीस के रूप में आय, पुस्तक में निर्धारिती के सभी अधिकारों के बदले एकमुश्त प्रतिफल नहीं है वहां ऐसी आय के संबंध में किए जाने वाले व्ययों को अनुज्ञात करने से पूर्व आय के उतने भाग को, जो पूर्ववर्ष के दौरान विक्रय की गई ऐसी पुस्तकों के मूल्य के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक हो, छोड़ दिया जाएगा :

25 परंतु यह और कि भारत के बाहर किसी स्रोत से उपार्जित किसी आय की बाबत, आय के उतने भाग को इस धारा के प्रयोजन के लिए गणना में लिया जाएगा जो निर्धारिती द्वारा या उसकी ओर से उस पूर्ववर्ष के, जिसमें ऐसी आय उपार्जित की गई है या ऐसी और अवधि के भीतर, जो सक्षम प्राधिकारी इस निमित्त अनुज्ञात करे, अंत से छह मास की अवधि के भीतर संपरिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में भारत में लाई जाती है ।

30 (3) इस धारा के अधीन कटौती तभी अनुज्ञात की जाएगी, जब निर्धारिती, आय की विवरणी के साथ विहित प्ररूप और विहित रीति में, ऐसी विशिष्टियां उल्लिखित करते हुए, जो विहित की जाएं, उपधारा (1) में निर्दिष्ट निर्धारिती को, ऐसा संदाय करने के लिए उत्तरदायी किसी व्यक्ति द्वारा सम्यक् रूप से सत्यापित कोई प्रमाणपत्र दे देता है ।

(4) इस धारा के अधीन कोई कटौती भारत के बाहर किसी स्रोत से उपार्जित किसी आय की बाबत तभी अनुज्ञात होगी जब निर्धारिती, विहित रीति में आय की विवरणी के साथ विहित प्राधिकारी से विहित प्ररूप में एक प्रमाणपत्र दे देता है ।

35 (5) जहां इस धारा में निर्दिष्ट किसी आय की बाबत किसी पूर्ववर्ष के लिए किसी कटौती का दावा किया गया है और अनुज्ञात किया गया है वहां ऐसी आय की बाबत कोई कटौती किसी निर्धारण वर्ष में इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध के अधीन अनुज्ञात नहीं की जाएगी ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) “लेखक” के अंतर्गत संयुक्त लेखक हैं ;

40 (ख) “पुस्तक” के अंतर्गत निर्देशिका, समीक्षा, डायरी, मार्गदर्शिका, जर्नल, पत्रिका, समाचारपत्र, विवरणिका, विद्यालयों के लिए पाठ्य पुस्तकें, ट्रैक्ट और इसी प्रकार के अन्य प्रकाशन, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हों, नहीं हैं ;

(ग) “सक्षम प्राधिकारी” से भारतीय रिजर्व बैंक या ऐसा अन्य प्राधिकारी अभिप्रेत है जो विदेशी मुद्रा में संदायों और व्यवहारों को विनियमित करने के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन प्राधिकृत है ;

45 (घ) स्वामिस्व या प्रतिलिप्यधिकार की फीस के संबंध में, “एकमुश्त राशि” के अंतर्गत ऐसे स्वामिस्वों या प्रतिलिप्यधिकार की फीस मद्दे किया गया ऐसा अग्रिम संदाय भी है, जिसे वापस नहीं किया जाना है ।’ ।

39. आय-कर अधिनियम की धारा 80ददक के पश्चात् निम्नलिखित धारा 1 अप्रैल, 2004 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

नई धारा 80ददक का अंतःस्थापन।

‘80ददख. (1) जहां ऐसे निर्धारिती की दशा में, जो व्यक्ति है, और जो—

(क) भारत का निवासी है ;

(ख) कोई पेटेंटी है ;

पेटेंटों पर स्वामिस्व की बाबत कटौती।

1970 का 39

50 (ग) पेटेंट अधिनियम, 1970 के अधीन 1 अप्रैल, 2003 को या उसके पश्चात् रजिस्ट्रीकृत किसी पेटेंट की बाबत स्वामिस्व के रूप में कोई आय प्राप्त करता है, और

उसकी पूर्ववर्ष की सकल कुल आय में स्वामिस्व सम्मिलित है वहां उसे इस धारा के उपबंधों के अनुसार और उनके अधीन रहते हुए ऐसी आय से ऐसी संपूर्ण आय के बराबर रकम की या तीन लाख रुपए की, इनमें से जो भी कम हो, कटौती अनुज्ञात की जाएगी :

1970 का 39

55 परंतु जहां पेटेंट अधिनियम, 1970 के अधीन किसी पेटेंट की बाबत कोई अनिवार्य अनुज्ञापति अनुदत्त की जाती है वहां इस धारा के अधीन कटौती अनुज्ञात करने के प्रयोजन के लिए स्वामिस्व के रूप में आय, उस अधिनियम के अधीन नियंत्रक द्वारा निर्धारित किसी अनुज्ञापति के निबंधनों और शर्तों के अधीन स्वामिस्व की रकम से अधिक नहीं होगी :